

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 107]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 मार्च 2016—फाल्गुन 20, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 10 मार्च, 2016 (फाल्गुन 20, 1937)

क्र. 8482-वि.स.-विधान-2016.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 231 के उपनियम (5) के अनुसरण में सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन, जो दिनांक 10 मार्च, 2015 के पत्रक भाग-दो, क्रमांक 30 में प्रकाशित होने पर प्रभावशील हुए एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :—

भाग-एक

संशोधन क्रमांक 1 :-

नियम 2 के उप नियम (1) ध की विद्यमान शब्दावली के स्थान पर निम्नानुसार शब्दावली प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:-

“सरकारी उपक्रम” से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 617 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 2 की उपधारा (45) अथवा संगत अधिनियम के अर्थ के अन्तर्गत कोई सरकारी कंपनी और उसके अन्तर्गत कोई निगम या कोई अन्य कानूनी निकाय चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जो प्रत्येक दशा में, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन हो.”.

संशोधन क्रमांक 2 :-

विद्यमान नियम 12 के स्थान पर, नवीन नियम निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

“12. जब तक कि सभा अन्यथा संकल्पित न करे सभा की बैठकें साधारणतः पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रारंभ होंगी और साधारणतः अपराह्न 5.30 बजे समाप्त हो जाएंगी :

परन्तु सभा की बैठक साधारणतः अपराह्न 1.30 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के मध्य नहीं होगी जब तक कि सभा अन्यथा संकल्पित न करे:

परन्तु यह और भी कि यदि सभा चाहे तो उसकी बैठक, यथास्थिति, किसी भी दिन या किन्हीं भी दिनों में अपराह्न 1.30 बजे से अपराह्न 3.00 के समय में या 5.30 बजे के बाद भी हो सकेगी या उस समय के पूर्व स्थगित हो सकेगी और उस दिन या उन दिनों बैठक सभा द्वारा इस प्रकार निर्धारित समय पर समाप्त होगी.”.

संशोधन क्रमांक 3 :-

विद्यमान नियम 154 को, “नियम 154 के उपनियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाये, तथा उसके पश्चात् नवीन उपनियम निम्नानुसार अन्तःस्थापित किये जायें, अर्थात् :-

“154.(2) अनुदानों की मांगों पर चर्चा के दौरान, किसी मांग की राशि को घटाने अथवा कम करने के प्रस्ताव की सूचना निम्नांकित तीन श्रेणियों में होगी:-

- (क) नीति निरनुमोदन कटौती
- (ख) मितव्ययिता कटौती
- (ग) सांकेतिक कटौती

(क) नीति निरनुमोदन कटौती प्रस्ताव :- जब सदस्य का उद्देश्य किसी मांग की नीति का निरनुमोदन करना हो तब ऐसे कटौती प्रस्ताव की सूचना देने वाले सदस्य को स्पष्ट शब्दों में उस नीति का ब्यौरा बताना होगा, जिस पर वह चर्चा करना चाहता है . चर्चा उसी विशिष्ट मुद्दे / मुद्दों तक सीमित रहेगी जिसका उल्लेख सूचना में किया गया हो .

(ख) मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव :- यदि किसी सदस्य का आशय व्यय में बचत से संबंधित है तो संबंधित मांग की राशि में राशि विशेष कम किये जाने का उल्लेख प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से किया जाएगा. कम करने के लिए सुझायी गई राशि, मांग में एक मुश्त राशि की कमी के बारे में होगी या मांग में से किसी मद को हटाने या उसमें कमी करने के बारे में हो सकेगी. मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव की सूचना संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में, उस विशिष्ट मुद्दे का उल्लेख करते हुए दी जाएगी जिस पर चर्चा उठाने की मंशा हो तथा बचत किस प्रकार की जा सकती है, उसे केवल इसी तथ्य तक सीमित रखा जायेगा.

(ग) सांकेतिक कटौती प्रस्ताव :- यदि राज्य सरकार के दायित्वाधीन क्षेत्र में किसी बात के बारे में कोई विशेष शिकायत का प्रकटन किया जाना हो तब सांकेतिक कटौती प्रस्ताव की सूचना दी जा सकेगी. ऐसे कटौती प्रस्ताव की विषय-वस्तु को विनिर्दिष्ट विशेष शिकायत तक ही सीमित रखा जाएगा.

(3) सदस्य द्वारा मांग विशेष के लिए नीति निरनुमोदन कटौती, मितव्ययिता कटौती अथवा सांकेतिक कटौती के प्रस्ताव की चार से अधिक सूचनाएं नहीं दी जाएंगी .

(4) जब किसी मांग विशेष पर एक से अधिक सदस्यों की एक ही विषय से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हों तो उन सूचनाओं में से सर्वाधिक सारगर्भित सूचना को वरीयता प्रदान की जायेगी, जिसमें सूचना देने वाले समस्त सदस्यों के नाम अंकित किए जाएंगे .

भाग-दो

- संशोधन क्रमांक 1 :- (1) नियम 2 के उप नियम (1) के पद-घ की विद्यमान शब्दावली “समाचार पत्र” के स्थान पर शब्दावली “सूचना पत्र/पत्रक” प्रतिस्थापित की जाये.
- (2) नियम 2 के उप नियम (1) के पद-ड की शब्दावली “सभा” के स्थान पर शब्दावली “सभा/सदन” प्रतिस्थापित की जाये.
- संशोधन क्रमांक 2 :- नियम 3 के परन्तुक में प्रयुक्त शब्दावली “ई-मेल वा तार” के स्थान पर, शब्दावली “इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों” प्रतिस्थापित की जाये.
- संशोधन क्रमांक 3 :- नियम 10 की विद्यमान शब्दावली निम्नानुसार संशोधित की जाये, अर्थात् :-
“उपाध्यक्ष को या संविधान अथवा इन नियमों के अधीन सभा की बैठक में पीठासीन होने के लिये सक्षम किसी अन्य सदस्य को, जब वह इस प्रकार पीठासीन हो, वही शक्ति होगी जो पीठासीन होने पर अध्यक्ष को होती है.”.
- संशोधन क्रमांक 4 :- नियम 19 के विद्यमान पार्श्व शीर्ष “संविधान के अनुच्छेद 175 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल का अभिभाषण.” के स्थान पर, पार्श्व शीर्ष “संविधान के अनुच्छेद 175 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल के अभिभाषण पर समय का नियतन.” प्रतिस्थापित किया जाये.
- संशोधन क्रमांक 5 :- नियम 53 की प्रथम पंक्ति के प्रथम शब्द “उन” के स्थान पर, शब्द “इन” प्रतिस्थापित किया जाये.
- संशोधन क्रमांक 6 :- नियम 54 के अनुक्रमांक (3) के सम्मुख अंकित शब्दावली “सचिव” के स्थान पर, शब्दावली “विभागीय सचिव” प्रतिस्थापित की जाये.
- संशोधन क्रमांक 7 :- नियम 57 की द्वितीय पंक्ति में अंकित “अल्प विराम (,)” एवं शब्द “जबकि ” के स्थान पर, शब्द “या” प्रतिस्थापित किया जाये.

- संशोधन क्रमांक 8 :- नियम 66 के पार्श्व शीर्ष की शब्दावली के प्रथम शब्द “व्यक्ति” के स्थान पर, शब्द “सदस्य” प्रतिस्थापित किया जाये.
- संशोधन क्रमांक 9 :- नियम 102 के आरंभ के पूर्व शीर्षक पद (झ) की शब्दावली “विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन और उनको वापस लेना तथा हटाना” के स्थान पर, शीर्षक पद (झ) की शब्दावली “विधेयकों पर वाद-विवाद का स्थगन और उनको वापस लेना तथा पंजी से हटाना.” प्रतिस्थापित की जाये.
- संशोधन क्रमांक 10:- (1) नियम 107 के उप नियम (1) की अंतिम पंक्ति की शब्दावली “और यदि उपयोग में लाया जाय, तो वह पर्याप्त होगा ” विलोपित की जाये.
(2) नियम 107 के उप नियम (2) की शब्दावली “प्रमुख सचिव ” के पश्चात्, शब्द “/सचिव” अंतःस्थापित किया जाये.
- संशोधन क्रमांक 11:- नियम 143 के शीर्षक तथा पार्श्व-शीर्ष की शब्दावली “मंत्रियों में अविश्वास का प्रस्ताव” के स्थान पर, पार्श्व-शीर्ष “मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव” प्रतिस्थापित की जाये.
- संशोधन क्रमांक 12:- नियम 153 के उप नियम (1) के पार्श्व-शीर्ष “अनुदानों पर मतदान” के स्थान पर, पार्श्व-शीर्ष “अनुदानों की मांगों पर मतदान” प्रतिस्थापित किया जाये, एवं उप नियम (1) की शब्दावली में विद्यमान वाक्यांश “जो लोक हित में” को विलोपित किया जाय.
- संशोधन क्रमांक 13:- (1) नियम 163-क के पूर्व विद्यमान अंकित शब्दावली “अध्याय 20-अ” को “अध्याय 21” के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाये तथा उसके पश्चात् अग्रेतर समस्त अध्यायों को भी तदनुसार पुनर्क्रमांकित किया जाये.
(2) नियम 163-ड की शब्दावली में विद्यमान शब्द “घोर” को विलोपित किया जाये.
- संशोधन क्रमांक 14:- नियम 177 के उप नियम (3) की प्रथम पंक्ति में विद्यमान शब्द “रिक्तिताओं” के स्थान पर, शब्द “रिक्तियों” प्रतिस्थापित किया जाये.
- संशोधन क्रमांक 15:- नियम 231 के उप नियम (2) की द्वितीय पंक्ति में विद्यमान शब्दावली “अध्यक्ष, समिति का पदेन सभापति होगा, विधि मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, समिति के पदेन सदस्य होंगे.” को, शब्दावली “अध्यक्ष समिति के पदेन सभापति तथा विधि मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, पदेन सदस्य होंगे.” द्वारा प्रतिस्थापित किया जाये, तथा
- संशोधन क्रमांक 16:- नियम 239 के परन्तुक की विद्यमान शब्दावली “परन्तु विशेषाधिकार के प्रश्न की वे सूचनाएं, जिन्हें अध्यक्ष स्वविवेक से लंबित घोषित कर देते हैं तथा सत्र के अंतिम दिन प्राप्त होंगी, सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होंगी.” को, शब्दावली “परन्तु विशेषाधिकार के प्रश्न की वे सूचनाएं, जिन्हें अध्यक्ष स्वविवेक से लंबित घोषित कर दे या ऐसी सूचनाएं जो सत्र के अंतिम दिन प्राप्त हों, सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होंगी.” द्वारा प्रतिस्थापित की जाये.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.